न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 179 / 2023 दावा / बउनवान / शिवराजसिंह / राज्य सरकार

शिवराजसिंह पुत्र श्री रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रकसपुरिया तहसील सॉगोद जिला कोटा।
–वादी–

–बनाम–

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 11.02.2023

वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 43 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नंबर 46 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नंबर 47 रकबा 1.90 हैक्टर कुल किता 4 की कुल 5.79 हैक्टर आराजी वाके ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सॉगोद में स्थित है। वादी का वास्तविक नाम ''शिवराजसिंह'' है किन्तु वादी को बचपन में घरेलू नाम 'रामावतार' के नाम से भी पुकारते थे। उक्त कारणों से उपरोक्त आराजी के रेकार्ड में वादी का नाम 'शिवराजसिंह उर्फ रामावतार' अंकित है जबकि अन्य राजकीय दस्तावेजों अर्थात् वादी के आधारकार्ड, वोटिंग कार्ड, जन–आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड में वादी का नाम 'शिवराजसिंह उर्फ रामावतार' अंकित है। साथ ही वादी के बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी वादी का नाम 'शिवराजसिंह' ही अंकित है किन्तु बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में उक्त नामों की भिन्नता के कारण बच्चों को उनके कार्यों में परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने गत सप्ताह पटवारी हल्का से उक्त नाम को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती कार्यवाही करने की राय व्यक्त की। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सॉगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। अतः वादग्रस्त आराजी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉंगोद, जिला- कोटा

के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''शिवराजसिंह उर्फ रामावतार'' के स्थान पर मात्र ''शिवराजसिंह'' अंकित करने के आदेश प्रसारित किये जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राज्यहित प्रभावित नहीं होने व्यक्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 43 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नंबर 46 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नंबर 47 रकबा 1.90 हैक्टर कुल किता 4 की कुल 5.79 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम ''शिवराजसिंह उर्फ रामावतार'' के स्थान पर मात्र ''शिवराजसिंह'' अंकित करने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 11.02.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 179 /2022 दावा/बउनवान/शिवराजसिंह/राज्य सरकार

शिवराजसिंह पुत्र श्री रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रकसपुरिया तहसील सॉगोद जिला कोटा।
–वादी–

—बनाम—

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मि.नं. 179/2022

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट,
तारीख फैसला दिनांक 11.02.2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 43 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नंबर 46 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नंबर 47 रकबा 1.90 हैक्टर कुल किता 4 की कुल 5.79 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम "शिवराजसिंह उर्फ रामावतार" के स्थान पर मात्र "शिवराजसिंह" अंकित करने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 11.02.2023 को जारी की गई।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद